

संपादकीय

पाकिस्तान की नई चाल

जब भी भारत में कोई आतंकी हमला होता है, तो पाकिस्तान हमेशा उसमें अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेता है। यहां तक कि मुंबई बम धमाके जैसे जिन बड़े मामलों में उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, उनमें भी वह अपने नागरिकों के शामिल होने से इनकार करता रहा है। वही रख उसने पहलगााम हमले पर अपना रखा है। हालांकि एक साक्षात्कार में वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कबूल किया है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी को पोसने में पश्चिमी देशों का हाथ रहा है। वही इन संगठनों का वित्तपोषण करते रहे हैं। ये आतंकी संगठन दशकों से पश्चिम के लिए ‘गंदा काम’ कर रहे हैं। पाकिस्तान से यह गलती हुई कि उसने इसे रोका नहीं, जिसका खमियाजा उसे भुगतना पड़ा है।

पहली नजर में यह बयान आसिफ की साफगोई लग सकती है, मगर फिर वही पुराना सवाल कि आखिर पाकिस्तान ने आतंकवाद के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल क्यों होने दिया और लगातार होने दे रहा है। अब जब भारत ने उस पर शिकंजा कसना शुरू किया है, तो अपने यहां पल रहे दहशतगर्दों को पश्चिम की पैदावार बता कर वह पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है। मगर उसी बातचीत में आसिफ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा का वजूद ही नहीं है, फिर उसकी शाखा कहां से पैदा हो सकती है।

आतंकी संगठनों के पाकिस्तान में पनपने के पीछे आसिफ ने पहले की सरकारों को दोषी ठहराया। मगर सवाल है कि उनकी सरकार ने इन संगठनों को नेस्तनाबूद करने की कितनी कोशिश की। वे वहां के रक्षामंत्री हैं और उन्हें इस बात से अनजान नहीं माना जा सकता कि उनकी सेना और खुफिया एजंसी भारत के खिलाफ छ्वं युद्ध में इन्हीं आतंिकियों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करती है। क्या रक्षामंत्री के नाते उन्होंने कभी सेना पर ऐसा न करने का दबाव बनाया। क्या वे उन सबूतों को मिटा सकते हैं, जिनमें सीमा पर आतंकी प्रशिक्षण केंद्र चलाने के तथ्य मौजूद हैं।

दुनिया के अनेक देश मानते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दों की सबसे बड़ी पनाहगाह बन चुका है। वैश्विक आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान में आतंकवाद की दर तेजी से बढ़ी है। क्या आसिफ को इस बात की जानकारी नहीं कि कंधार कांड से जुड़े आतंकी उनकी ही सरजमीन पर रहते हैं और खुलेआम घूमते हैं? उनको पाकिस्तानी सेना की कड़ी सुरक्षा मिली हुई है। केवल यह कह देने से कि लश्कर-ए-तैयबा का पाकिस्तान में वजूद नहीं है, यह बात सच नहीं हो जाती। यह पहली बार नहीं है, जब पाकिस्तान दहशतगर्दी के मामले में अपने को पाक-साफ साबित करने की कोशिश कर रहा है। मगर उसकी असमर्थता किसी से छिपी नहीं है। वर्षों से उसकी अर्थव्यवस्था दूसरे देशों की इमदाद से चल रही है। फिलहाल उसने चीन का दामन पकड़ रखा है और उसी के सहारे उसकी दाल-रोटी चल पा रही है। पर वास्तव में वह दुनिया में अलग-थलग पड़ चुका है। वहां इस कदर गुरबत है कि लोग आटे-दाल के लिए लूट-खसोट पर उतरते देखे जाते हैं। मगर ऐसे हालात में भी तुरां यह कि अपने यहां जदें जमाए आतंकवाद को खत्म कर तरक्की के रास्ते तलाशने के बजाय वह भारत से दो-दो हाथ करने का दम भरता है। इस रवैए के साथ पाकिस्तान और बदहाली की ओर ही बढ़ेगा।

त्रेता और द्वापर युग से चिरंजीवी हैं भगवान परशुराम

डॉ. श्रीगोपाल नारसन एडवोकेट

भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम चिरंजीवी हैं। वे भगवान श्रीराम के समय भी थे और भगवान श्रीकृष्ण के समय भी मौजूद रहे, आज भी उन्हें साक्षात जीवित देव माना जाता है। भगवान परशुराम ने ही श्रीकृष्ण को सुदर्शन चक्र उपलब्ध कराया था। किदवदन्ति है कि महेंद्रगिरि पर्वत भगवान परशुराम की तपस्या स्थली रही है और उसी पर्वत को कल्पांत तक तपस्या के लिए उन्होंने चुना। कहते हैं, एक बार भगवान गणेश ने परशुराम को शिव दर्शन करने से रोक दिया था, जिससे रष्ट होकर परशुराम ने उन पर अपने फरसे से प्रहार किया, जिससे उनका एक दांत टूट हो गया और तभी से वे एकदंत हो गए। त्रेतायुग में सीता स्वयंवर में शिव धनुष टूटने पर वे पहले बहुत नाराज हुए और फिर क्रोध शांत होने पर श्रीराम का सम्मान भी किया। द्वापर युग में उन्होंने असत्य वचन के लिए दंड स्वरूप कर्ण को सारी विद्या विस्मृत होने का श्राप दिया था, साथ ही भीष्म, द्रोण व कर्ण को शस्त्र विद्या प्रदान की थी।

भगवान परशुराम को विष्णु का छठा ‘अवतार’ माना जाता है। जबकि श्रीराम सातवें अवतार थे। भगवान परशुराम का जन्म 5142 वि.पू. वैशाख शुक्ल तृतीया के प्रथम प्रहर में हुआ था। इनका जन्म सतयुग और त्रेता का संधिकाल भी माना जाता है। भगवान परशुराम का जन्म 6 उच्च ग्रहों

डॉ. मयंक चतुर्वेदी

वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस्लामवादियों ने देश के उच्चतम न्यायालय को 70 याचिकाओं के माध्यम से बताया चाहा है कि केंद्र की मोदी सरकार जो वक्फ कानून में संशोधन लेकर आई है वह गैर संवैधानिक है। इसमें ‘वक्फ बाय यूजर’ पर होने वाली जिरह बहुत महत्व रखती है। न्यायालय का केंद्र सरकार से तर्क है कि ‘वक्फ बाय यूजर’ के जरिए तो हजारों साल से चली आ रही इस्लामिक संपत्तियों का दर्जा खत्म हो सकता है, जिसके बाद सरकार ने विस्तार से इसका जवाब देने के लिए कोर्ट से एक सप्ताह का समय मांगा।

देखा जाए तो न्यायालय में चल रही ‘वक्फ बाय यूजर’ की बहस ने आज भारत में शत्रु संपत्तियों की भी याद दिला दी है। वर्तमान में जो दो समानताएं ‘वक्फ बाय यूजर’ और शत्रु संपत्ति में दिखाई देती हैं, एक-यह कि अधिकांश सभी संपत्तियां विशुद्ध रूप से सरकारी हैं और जिन संपत्तियों को निजी बताया जा रहा है, उनमें अधिकांश के पास उसके

परशुराम जयंती पर विशेष



के योग के समय में हुआ। जन्म तिथि अक्षय तृतीया होने कारण इसी दिन परशुराम जयंती मनाई जाती है। साहित्यकार शिवकुमार सिंह कौशिकेय द्वारा किये गए एक शोध के तहत परशुराम का जन्म वर्तमान बलिया के खैराडीह में बताया गया है। उत्तर प्रदेश के शासकीय बलिया गजेटियर में परशुराम का चित्र सहित संपूर्ण विवरण उपलब्ध होना बताया गया है।

एक किंवदंती में मध्य प्रदेश के इंदौर के पास स्थित महुू से कुछ ही दूरी पर स्थित जानापाव की

पहाड़ी पर भगवान परशुराम का जन्म होना बताया गया है। यहां पर परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि का आश्रम है। कहते हैं कि प्राचीन काल में इंदौर के पास ही मुंडी गांव स्थित रेणुका पर्वत पर माता रेणुका रहती थीं। एक अन्य मान्यता में छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में घने जंगलों के बीच कलचा गांव में एक शतमहला है। जमदग्नि ऋषि की पत्नी रेणुका इसी महल में रहती थीं और भगवान परशुराम को उन्होंने यहीं जन्म दिया था। शाहजहांपुर के जलालाबाद में जमदग्नि आश्रम से करीब दो किलोमीटर पूर्व दिशा में हजारों साल पुराने मन्दिर के अवशेष मिलते हैं जिसे भगवान परशुराम की जन्मस्थली कहा जाता है। महर्षि ऋचोक्त ने महर्षि अगत्य के अनुरोध पर जमदग्नि को महर्षि अगत्य के साथ दक्षिण में कोंकण प्रदेश में धर्म प्रचार का कार्य करने लगे। कोंकण प्रदेश का राजा जमदग्नि की विद्वता पर इतना मोहित हुआ कि उसने अपनी पुत्री रेणुका का विवाह इनसे कर दिया। इन्ही रेणुका के पांचवें गर्भ से भगवान परशुराम का जन्म हुआ। जमदग्नि ने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के बाद धर्म प्रचार का कार्य बन्द कर दिया और राजा गांधि की स्वीकृति लेकर इन्होंने अपना जमदग्नि आश्रम स्थापित किया और अपनी पत्नी रेणुका के साथ वहीं रहने लगे। राजा गांधि ने वर्तमान जलालाबाद के निकट की भूमि जमदग्नि के आश्रम के लिए चुनी थी। जमदग्नि ने आश्रम के निकट ही रेणुका के लिए कुटी बनवाई थी आज उस कुटी के स्थान पर एक अति प्राचीन मन्दिर बना हुआ है जो आज ‘ढकियाइन देवी’ के नाम से सुप्रसिद्ध है।

भगवान परशुराम के लिए जहां अपने पिता की आज्ञा सर्वोपरि रही वहीं वे अपने क्रोध व शिव भक्ति के लिए भी जाने जाते हैं। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने अपने पराक्रम से नदियों तक की दिशा मोड़ दी थी। वास्तव में भगवान परशुराम ऐसे देव हैं जिन्हें चिरंजीवी होने का गौरव प्राप्त है।

वक्फ बाय यूजर और शत्रु संपत्ति : मालिकाना हक सरकार का है

कोई भी वैध दस्तावेज नहीं है। ऐसे में यदि किसी का हक इन पर हो सकता है तो वह सरकार है। हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ जो इस मामले की सुनवाई कर रही है कि इस मामले को लेकर कुछ चिंताएं हैं, जिनसे उन्होंने केंद्र सरकार को अवगत कराया है। सरकार ने बताया है कि प्रबंधन और धार्मिक मामले अलग-अलग हैं। संपत्ति के प्रबंधन और धार्मिक मामलों से जुड़े मामलों के बीच फर्क करना होगा। संपत्ति का प्रबंधन ऐसा काम है जिसका धर्म या संप्रदाय से कोई ताल्लुक नहीं है। बोर्ड और वक्फ परिषद यह काम कर रहे हैं।’

अब कोई कह सकता है कि वक्फ बोर्ड भी तो मुसलमानों का मजहबी मामले में स्थापित एक निकाय है। हिन्दूओं या अन्य किसी गैर मुसलमान के धार्मिक ट्रस्ट की तरह। पर देखा जाए तो ऐसा है, उनमें अधिकांश के पास उसके

अवधारणा के अनुसार वक्फ की गई संपत्ति का उपयोग सिर्फ परोपकार के काम में हो सकता है लेकिन आज व्यवहार में ज्यादातर वक्फ संपत्तियों का उपयोग व्यवसायिक होना पाया गया है। जिसके चलते यह बात स्पष्ट होती है कि वक्फ बोर्ड आज इस्लाम के नाम पर संपत्ति अर्जित करने का माध्यम है, जो जब चाहे तब किसी भी संपत्ति पर अपना दावा ठोक देता है। इसलिए यह वक्फ बोर्ड विवादों में आया, जिसके चलते केंद्र सरकार को इसमें संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी।

कुल मिलाकर यह सिर्फ महजबी मामला नहीं क्योंकि वक्फ बोर्ड नियम के अनुसार ऐसा नहीं है कि आने वाले समय में वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति पर अपना दावा करना छोड़ देगा। हां, अब इसमें इतना जरूर होगा कि यदि वह पूर्व की भांति किसी भी संपत्ति पर अपना दावा करता है तो उस संपत्ति को उसे नए नियमों के अनुसार कागजों पर स्थापित करना होगा। पाकिस्तान

जाने वाले भारत छोड़ते वक्त जो संपत्तियां वक्फ कर गए, उन सभी संपत्तियों पर वर्तमान में वक्फ बोर्ड का अधिकार है। इसी तरह से ज्यादातर इस्लामिक बादशाहों की बनवाई इमारतों पर वक्फ अपना अधिकार जताता है, लेकिन ये दोनों ही प्रकार की संपत्तियां पूरी तरह से सरकारी हैं।

क्योंकि बादशाहों के समय जो इमारतें देश में बनी, उनके शासन के हटते ही समय-समय पर अन्य तत्कालीन शासकों के अधीन व रहती आई हैं। पुर्तगाली, डच, फ्रांसिसी, अंग्रेज आए, स्वतंत्र राजा-महाराजाओं की सत्ता भी रही, फिर उसके बाद शासन भारत सरकार का आया, नए सिरे से संविधानिक प्रावधान 1950 से लागू हुए। ऐसे में समय के साथ स्वभाविक तौर पर जमीन का मालिकाना हक बदलता रहा। आज यह सभी भूमि-भवन सरकार की मिल्कीयत हैं, पर वर्तमान में अनेकों पर वक्फ बोर्ड का कब्जा है और वह उनसे धन कमा रहा है। इनमें

आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 256 संरक्षित इमारतें भी शामिल हैं। इतना ही नहीं ईसाई एवं अन्य धर्म, संप्रदाय की भूमि एवं भवन पर भी इसने कई राज्यों में दावा कर रखा है।

आज विवाद का कारण यही है, जैसा कि संसद में पेश हुई संयुक्त संसदीय कमेटी (जेपीसी) की रिपोर्ट में बताया गया, वक्फ बोर्ड ने पूरे देश में 58,000 से ज्यादा संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है।

इतिहास से कैसे ये वक्फ बोर्ड खिलवाड़ कर रहा है, इसको आप दिल्ली की कुतुब मीनार क्षेत्र, सुंदरवाला महल, बाराखंबा, पुराना किला, लाल बंगला, कर्नाटक का बीदर किला, कलबुर्गी स्थित गुलबर्ग किले को अपना बताए जाने की मानसिकता से समझ सकते हैं। वहीं, इसने कई प्राचीन जामा मस्जिदें, सूफी-संतों की दरगाहें और गुंबदों पर भी दावा कर रखा है। रेलवे की 2704 वर्ग मीटर जमीन पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया है। जयपुर रेलवे स्टेशन की

45.9 वर्ग मीटर और जोधपुर रेलवे स्टेशन की 131.67 वर्ग मीटर जमीन को भी वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया है। वर्तमान में वक्फ बोर्ड की जमीन 9.4 लाख एकड़ जमीन में फैली है। बड़ी बात यह है कि धर्म के आधार पर इस्लामवादियों ने अपने लिए अलग देश लेकर भी भारत में अपने पास दुनिया की सबसे बड़ी वक्फ होल्डिंग रखी हुई है।

वस्तुतः ऐसे में यहां साफ समझ आता है कि गैर मुसलमान को वक्फ बोर्ड में सदस्य के रूप में रखने के पीछे सरकार की मंशा क्या रही होगी। संभवतः यही कि जिस तरह की कब्जात रहा है, वह अब ऐसा नहीं कर पाए। क्योंकि यदि निगरानी के स्तर पर बोर्ड में गैर मुसलमान रहेंगे तो बातें बाहर निकल कर आसानी से आएंगी और

अक्षय तृतीया का पौराणिक महत्व भी है। मान्यता है कि इसी दिन सतयुग और त्रेता युग का आरंभ हुआ था। द्वापर युग का समापन और महाभारत युद्ध का समापन भी इसी तिथि को हुआ था। देश के अनेक हिस्सों में इस तिथि का अलग-अलग महत्व है। जैसे उड़ीसा और पंजाब में इस तिथि को किसानों की समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है तो बंगाल में इस दिन गणपति और लक्ष्मीजी की पूजा का विधान है।

इतना पवित्र पर्व होने के बाद भी इस दिन बड़ी संख्या में होने वाले बाल विवाह इस पर्व के महत्व को कम करते हैं। अबूदू सावा मान कर बड़ी संख्या में लोग अपने नाबालिग बच्चों की इस दिन शादी कर देते हैं। कम उम्र के बच्चों के विवाह रोकने के लिए इस दिन प्रशासन को विशेष इंतजाम करने पड़ते हैं। राजस्थान सहित कई प्रदेशों में तो अक्षय तृतीया का दिन बाल विवाह के लिए बदनाम हो चुका है। विकास के दौर में बाल विवाह एक नासूर के समान है। देश में हर व्यक्ति को शिक्षित करने की मुहिम चल रही है। हर व्यक्ति को उत्तम स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में बाल विवाह हीन समाज के माथे पर कलंक के समान है।

देश में अक्षय तृतीया (आखा तीज) पर हर वर्ष हजारों की संख्या में बाल विवाह किए जाते हैं। तमाम प्रयासों के बावजूद हमारे देश में बाल विवाह जैसी कुप्रथा का अन्त नहीं हो पा रहा है। भारत में बेटी-बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान के शुरू होने के बावजूद एक नाबालिग बेटी की जबर्दस्ती शादी करा दी जा रही है। बाल विवाह मनुष्य जाति के लिए अभिशाप है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हर जगह बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। देश के सभी प्रदेशों में बेटियां शिक्षित हो रही हैं। ऐसे में समाज को आगे आकर कम उम्र में लड़कियों के होने वाले बाल विवाह रुकवाने के प्रयास करने होंगे। ऐसे पवित्र दिन का महत्व बनाए रखने के लिए समाज को इस दिन होने वाली कुरीतियों पर रोक लगाकर सकारात्मक संदेश देना होगा। तभी सार्थकता बनी रह पाएगी।

आजकल

धार्मिक कट्टरता चाहे किसी भी रंग की हो, ठीक नहीं

धर्म के नाम पर फैलाई जा रही साम्प्रदायिक नफरत का तूफान भारत की सभी गर्व करने योग्य परम्पराओं की तबाही करती जा रही है। अल्पसंख्यक आबादी, विशेष तौर पर मुस्लिम भाईचारे के बारे में प्रचारित की जा रही झूठी और मनगढ़ंत कहानियों का बाजार गर्म है। इन भड़काऊ घोषणाओं और बयानबाजी पर कार्यवाइयां होने से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे भारत के भीतर कोई बड़ा धर्म युद्ध लड़ा जा रहा है। अब तो इस तथ्य की पुष्टि भाजपा सांसद निशीकांत दुबे ने भी अपने बयान में कर दी है। बेशक इसका ठीकरा शीर्ष अदालत के माननीय मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के सिर पर फोड़ा है। हिंदू धर्म के नाम पर विहिप नेता प्रवीण तोगड़िया ने देश में इसराईल जैसी व्यवस्था (जियोनिज्म) जिसके माध्यम से मुसलमानों और अल्पसंख्यक तथा विचारधारक विरोधियों का मुकम्मल तौर पर सफाया किया जा सके, लागू करने की वकालत कर दी है।

विश्व के अंदर किसी भी धर्म, पंथ या सामाजिक-राजनीतिक लहर के उदय का संबंध उस दौर की ठोस आर्थिक-सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के साथ जुड़ा होता है। जनसाधारण को खत्म करने वाली लोकविरोधी नीतियों के कारण दरवेश मुश्किलों से छुटकारा हासिल करने के लिए किसी धर्म या पंथ का निर्माण किया जाता है। इसके बावजूद पीड़ित जनता आहिस्ता-आहिस्ता हर दौर की नई प्रगतिशील धारा के साथ जुड़नी शुरू हो जाती है। कार्ल मार्क्स सहित विश्व भर के दार्शनिकों ने सामाजिक विकास के अंदर धर्म की ओर से निभाई जा रही इस भूमिका को बाखूबी अंकित किया है।

मजहब के नाम पर मनमानी बंद होगी। वास्तव में उसे रोकने के लिए ही सरकार ने ये नई व्यवस्था का निर्माण किया होगा। इस केस में एक चिंता न्यायालय की वक्फ बाय

यूजर की भी देखने में आई है। देखा जाए तो इसका मतलब उस संपत्ति से होता है, जिसके कोई औपचारिक दस्तावेज नहीं है, लेकिन इन संपत्तियों का इस्तेमाल लंबे समय से मजहबी कार्यों के लिए किया जा रहा है। सरल शब्दों में कहें तो ‘वक्फ बाय यूजर’ का अर्थ है मौखिक घोषणाएं।

भूमि के टुकड़े या संपत्तियाँ जिन्हें धार्मिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा रहा है, उन्हें वक्फ संपत्ति के रूप में घोषित किया जा सकता है। इसके लिए किसी दस्तावेज, किसी विलेख या किसी कागजी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं। ‘धारणा’ वाला हिस्सा व्यक्तिपरक होने के साथ-साथ अपनी व्याख्या में भी अस्पष्ट था, जिससे भूमि विवादों को देशभर में बढ़ाने का काम किया है। क्योंकि इसमें कहीं भी भूमि कब्जाओ और उसे वक्फ बोर्ड की घोषित कर दो अथवा जहां मर्जी आए उस पर वक्फ बोर्ड से दावा ठोक दो!